

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/172824/SDN/SIDDHARTH NAGAR/880/CFO

दिनांक: 20-09-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **D.A.V. EDUCATIONAL ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GATA NO.-851, 852, 854,,BHEEMAPAR,SIDDHARTH NAGAR, PIN-272207** तहसील - **NAUGARH**, प्लॉट एरिया **2361.48 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **1625.31** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	10.5 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **D.A.V. EDUCATIONAL ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-09-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BRAHMA PRAKASH TRIPATHI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-09-2025** से **27-09-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **D.A.V. EDUCATIONAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **D.A.V. EDUCATIONAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : FSSO की संस्तुति पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है।

- 1-अर्ह अभिकर्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें।
- 2-फायर उपकरणों का वार्षिक AMC/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय
- 3-विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 4-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा।
- 5-स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन अधिभोग/निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें।
- 6-शा0 दिनांक 07.01.2022 एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 एवं नियमावली-2024 के अनुसार निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-09-2025
स्थान : **SIDDHARTH NAGAR**

S. M. TRIPATHI
PRINCIPAL
D. A. V. Educational Academy
Bheemapar, Siddharth Nagar

B. pathi
Manager
D.A.V. Educational Academy
Bheemapar, Siddharthnagar

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(VIJAYPRAKASH TRIPATHI)

[8B8F826EEEDF270C6588C79A5CCD89853F0F3A01]

28-09-2025